म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/16/2/ब/पार्ट/224 भोपाल,दिनांक 30/3/16

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
भोपाल....... जिला भोपाल (समस्त)
(म0प्र0)

विषय :– नवीन मंडी प्रांगण करोंद में निर्मित कृषक विश्राम गृह को अनुरक्षण ठेके पर दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– सचिव कृषि उपज मंडी समिति भोपाल का पत्र कमांक/मंडी/निर्माण शाखा/15–16/668 दि. 17.11.15

–000–

विषयांकित प्रकरण में मंडी समिति प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह को ठेके पर दिये जाने के संबंध में मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल से पत्र कमांक/मंडी/प्रांगण/विवधि/45/44/ 3951 दि. 26.12.2008 से गाईड लाईन तैयार की जाकर उपरोक्त के बिंदु कमांक–13 अनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार मंडी समिति को दिया गया है, उपरोक्त में अन्य निर्देश भी दिये गये है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) अतएव संदर्भित पत्र के पालन में अपने स्तर से समुचित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क/मंडी/प्रांगण/16/2/ब/पार्ट/225 भोपाल,दिनांक 30/3/16

प्रतिलिपि :–

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) की ओर बोर्ड कार्यालय के पत्र कमांक 3951 दि. 26.12.2008 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/45/44/3596
प्रति,

भोपाल,दिनांक 26-12-08

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
.... जिला.................
(म0प्र0)

विषय :– मंडी प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह एवं कैंटीन बाबत।

-000-

प्रदेश की कई कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में कृषकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से कृषक विश्रामगृह का निर्माण किया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि मंडी समितियों में कृषक विश्रामगृह का समुचित संचालन नही हो पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मंडी प्रांगण में आने वाले कृषक बंधुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में समय–समय पर मंडी बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है। मंडी में कृषक विश्राम गृहों के संचालन, देखरेख तथा कैंटीन की व्यवस्था भी वर्तमान में संतोषजनक नही है। इस संबंध में बोर्ड स्तर पर गाईड लाईन तैयार की गई है, जो संलग्न है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न गाईड लाईन अनुसार मंडी प्रांगण में स्थित विश्राम गृहों का संचालन समुचित रख–रखाव (साफ–सफाई, रंगाई पुताई, मरम्मत, पेयजल, बिजली, पंखे, संडास आदि की व्यवस्था) तथा संचालन एवं उपरोक्त व्यवस्था के लिये बजट में समुचित प्रावधान करते हुए नियमानुसार टेन्डर आदि की प्रकिया पूर्ण करते हुए 30 दिवस के भीतर कृषक विश्राम गृह/कैंटीन भोजनालय की सुविधा शुरू की जाना सुनिश्चित करें जिससे प्रांगण में आने वाले कृषकों को विश्राम तथा भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये सचिव व्यक्तिगत रूप से दायित्वपूर्ण होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृष्ठा क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/45/44/
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल,दिनांक

उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मंडी समितियों में स्थित कृषक विश्राम गृह/कैंटीन/भोजनालय को ठेके पर देने सम्बन्धी शर्ते।

(1) मंडी समिति में स्थित विश्राम गृह/कैंटीन/भोजनालय का संचालन एवं संधारण इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से टेण्डर प्राप्त कर किराये पर दिये जायेगें।

(2) कृषक विश्राम गृह के संचालन हेतु इच्छुक आवेदक का प्रतिभूमि के तौर पर राशि रू0 1.00 करोड (एक करोड) से अधिक आय वाली मंडी में 20,000/- रू0 एवं उससे कम आय वाली मंडी में 10,000/- रू0 जमा कराना अनिवार्य होगा।

(3) कृषक विश्राम गृह उसी आवेदक को संचालन हेतु दिया जा सकेगा जो मोहरबंद प्रस्ताव में अधिकतम वार्षिक किराया की राशि का प्रस्ताव करेगा।

(4) कृषक विश्रामगृह एवं केन्टीन के संचालन हेतु प्रस्ताव के लिये स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर निविदा आमंत्रित की जाय।

(5) कृषक विश्राम गृह एव केन्टीन का आफसेट किराया स्थानीय परिस्थितियों एव उपलब्ध स्थान के आधार पर निम्न बिन्दुओं का ध्यान मे रखते हुए मंडी द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

   (1) उपलब्ध स्थान (हाल, कमरे इत्यादि)

   (2) आगंतुक किसानों की संख्या

   (3) प्रचलित बाजार दर

   निविदा उपरान्त यदि प्रथम बोली में निर्धारित आफसेट मूल्य प्राप्त नही होते है तो उस पर पुनर्विचार करने के अधिकार मंडी समिति को रहेंगे।

(6) ठेके की अवधि 03 वर्ष रहेगी एवं यह अवधि कार्य के मूल्यांकन तथा आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।

(7) द्वितीय बोलीधारक की जमा राशि प्रथम बोलीदार द्वारा पूर्ण अमानत राशि जमा करने के पश्चात् वापस की जावेगी।

(8) कृषक विश्राम गृह एवं केन्टीन का ठेका, जिसे आवंटित किया जावेगा उसे कब्जा प्राप्त करने के पूर्व मंडी समिति के पक्ष में 100/- के स्टाम्प पर अनुबंध मंडी समिति द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

(9) ठेका जिस व्यक्ति के नाम आवंटित होगा वह अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नही कर सकेगा।

(10) विद्युत एवं जल की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय से करना होगी। यदि ठेकेदार इसका लाभ मंडी समिति से प्राप्त करना चाहते है तो मंडी समिति द्वारा विद्युत पर होने वाले आगामी 06 माह के व्यय का आकलन कर राशि अग्रिम के रूप में जमा कराने के उपरान्त ही कनेक्शन दिया जावेगा। बिल की राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा करना आवश्यक होगी, अन्यथा कनेक्शन विच्छेद कर दिया जावेगा। जमा करायी गयी अग्रिम राशि अनुबंध की समाप्ति पश्चात विद्युत व्यय का समायोजन करते हुए शेष राशि ठेकेदार को वापस की जायेगी।

(11) यह कि ठेकेदार के अधिनस्थ कार्यरत सेवकों को मंडी समिति द्वारा प्रसारित आदेश एवं मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

(12) भोजन के लिये उपलब्ध सामग्री का आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार मंडी समिति का होगा। सामग्री को खाद्य योग्य न पाये जाने की स्थिति में उसे जब्त/नष्ट/फिकवाने का अधिकार मंडी समिति के कर्मचारी/अधिकारी का होगा।

(13) कृषक विश्राम गृह/भोजनालय ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा। मंडी समिति किसी भी समय ठेक को निरस्त करने के लिये सक्षम होगी।

(14) किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का अधिकार मण्डी समिति को रहेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

(15) किसी भी शर्त में कमी/वृद्धि अथवा फेरबदल करने का अधिकार मण्डी समिति का रहेगा। जो सभी को मान्य होगा।

(16) संबंधित ठेकेदार कृषक विश्राम गृह में ठहरने वाले कृषको से निम्न विवरण अनुसार शुल्क प्राप्त कर सकेगा।

(1) हाल/कमरा मे ठहरने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 10/- रू0 चार्ज देय होगा जिसमें उनको 1 गद्दा, 1 तकिया एवं दो चादर उपलब्ध कराया जाना होगा।

(2) प्रसाधनयुक्त कमरे (डबलबेड गद्दा, चादर आदि) के लिये किराया प्रति व्यक्ति 50/- रूपये प्रतिदिन होगा इसके अतिरिक्त कोई चार्ज नही लिया जावेगा। भोजन स्वल्पाहार की व्यवस्था अलग रहेगी।

(17) भोजन हेतु अच्छी गुणवत्ता के साथ मेन्यु का निर्धारण मंडी समिति द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे है।

(18) कृषक विश्राम गृह एवं केन्टीन में साफ--सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।

(19) मंडी समिति को कृषक विश्राम गृह की आवश्यकता होने पर प्राथमिकता के आधार पर मंडी सचिव के आदेश पर उपलब्ध कराना होगा।

(20) मंडी समिति का यह दायित्व होगा कि कृषक विश्राम गृह एवं केंटीन/भोजनालय में उपलब्ध सुविधायों का मंडी में यथोष्ट प्रचार प्रसार किया जाये एवं इनका उपयोग मंडी में आने वाले कृषकों को "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर सुनिश्चित करायें।

(21) कृषक विश्राम गृह के प्रवेश काउन्टर के समीप आरक्षण पटल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जिस पर अग्रिम आरक्षण कराने वाले कृषकों का नाम इत्यादी अंकित किया जावेगा।

(22) उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर मंडी समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबंध संचालक से प्राप्त करना होगा।

(23) सभी विश्राम गृह में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था निशुल्क की जावेगी।

(24) 5/-रूपये में भोजन उपलब्ध कराने की योजना के निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है।

(विवेक अग्रवाल)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल